भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 698
सोमवार, 12 दिसम्बर, 2022/21 अग्रहायण, 1944 (शक)

विकास योजनाएं

698. **श्री गोपाल शेट्टीः**
श्रीमती मेनका संजय गांधीः
श्री दीपक अधिकारी (देव):

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में चल रही विकास योजनाओं से रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित हो रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार में पंजीकृत नई नौकरियों की संख्या कितनी है और पिछले तीन वर्षों के दौरान रिकॉर्ड के अनुसार कितने लोग बेरोजगार है;

(ग) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में कुल बेरोजगारी का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शहरी युवा रोजगार कार्यक्रम की योजना बनाई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) वर्ष 2019-22 के लिए शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी के आंकड़ों का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार ने रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर पहल की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (च): नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने हाल के दिनों में बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं।भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इस पैकेज में, देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), नए रोजगार का सृजन करने हेतु रोजगार देने वालों को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हुई हानि के प्रतिस्थापन हेतु दिनांक 01 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की थी। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31.03.2022 थी। दिनांक 31.03.2022 तक, 60.13 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

बजट 2021-22 में 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से वर्ष 2021-22 से शुरू होकर 5 वर्ष की अवधि के लिए उत्पादन-संबंद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं शुरू की गई हैं। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही पीएलआई योजनाओं में 60 लाख नए रोजगार सृजित होने की संभावना है।

पीएम गतिशक्ति, आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी एपरोच है। यह एपरोच सात घटकों नामतः सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और लाजिस्टिक बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित हैं। यह एपरोच, स्वच्छ ऊर्जा और सबके प्रयास द्वारा संचालित है जिससे सभी के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के अत्यधिक अवसर पैदा होंगें।

आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय सतत आधार पर शहरी गरीब परिवारों की गरीबी और भेद्यता को कम करने के लिए "दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम)" नाम से एक केंद्र प्रायोजित योजना लागू कर रहा है। यह मिशन, अन्य बातों के साथ-साथ, कौशल प्रशिक्षण और प्लेसमेंट (ईएसटी एंड पी) घटक के माध्यम से रोजगार के तहत बाजार उन्मुख पाठ्यक्रमों में कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से शहरी गरीबों को लाभकारी स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसरों तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। साथ ही, शहरी गरीब व्यक्तियों/समूहों/स्वयं सहायता समूहों (एसएचजीसी) को लाभकारी स्व-रोजगार उद्यम या सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

पिछले तीन वर्षों (अर्थात 2019-20 से 2021-22) के दौरान डीएवाई-एनयूएलएम के तहत व्यक्तिगत/सामूहिक सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए कौशल प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या और सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या क्रमशः 1,77,687 और 2,88,399 है।

स्व-रोजगार को सरल बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) कार्यान्वित की जा रही है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा इसमें और विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का जमानत मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के आरंभ से, दिनांक 25.11.2022 तक देश में 21.02 लाख करोड़ रुपए की राशि के 37.75 करोड़ ऋण सभी वर्ग के उद्यमियों को दिया गया है।

सरकार दिनांक 01 जून, 2020 से प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि योजना) का कार्यान्वयन कर रही है ताकि कोविड -19 महामारी के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए स्ट्रीट वेंडरों को उनके व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए जमानत मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा मिल सके। दिनांक 08 दिसम्बर, 2022 तक, इस योजना के तहत 37.95 लाख लाभार्थियों को 4396.12 करोड़ रुपए की राशि के 43.66 लाख ऋण वितरित किए जा चुके हैं।

भारत सरकार, पर्याप्त निवेश और सार्वजनिक व्यय वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और जिसमें रोजगार सृजन हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) और पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), और आदि जैसी योजनाएं शामिल हैं।

इन प्रयासों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन सब के लिए आवास जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशीप कार्यक्रम भी रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए है।

रोजगार और बेरोजगारी पर आधिकारिक डेटा स्रोत आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) है जिसे वर्ष 2017-18 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआ) द्वारा आयोजित किया जा रहा है। सर्वेक्षण की अवधि अगले वर्ष जुलाई से जून तक है। उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की सामान्य स्थिति आधार पर अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) और बेरोजगारी दर (यूआर) इस प्रकार थी:

वर्ष	डब्ल्यूपीआर (%)	यूआर (%)
2017-18	46.8	6.0
2018-19	47.3	5.8
2019-20	50.9	4.8
2020-21	52.6	4.2

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

इसके अलावा, वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए शहरी क्षेत्रों के लिए सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की बेरोजगारी दर क्रमशः 6.9% और 6.7% है।

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिछले तीन वर्षों अर्थात वर्ष 2019 से वर्ष 2021 के दौरान, रोजगार कार्यालयों में अधिसूचित रिक्तियों की संख्या 17.84 लाख थी। इसके अलावा, पिछले तीन वर्षों अर्थात वर्ष 2019-20 से वर्ष 2021-22 के दौरान श्रम और रोजगार मंत्रालय के राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल पर रिक्तियों की संख्या 56.07 लाख थी।

*****